झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग।

अधिसूचना

एस0 ओ0 ....22.......... दिनांक ....10- 8 -..........2006 अंगीकृत बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948 की धारा 10 की उपधारा (2), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड राज्य में निम्न प्रकार के छविगृहों एवं बहुविध छविगृह परिसरों को प्रवेश शुल्क के विरूद्ध देय मनोरंजन कर की राशि पर कर देयता की तिथि से निम्न वर्णित अवधि/वर्षों के लिए मनोरंजन कर से विमुक्ति प्रदान करते हैं :–

सिनेमागृह का वर्गीकरण	देय प्रोत्साहन अवधि
1. पुराने छविगृह जो राज्य निर्माण के पूर्व निर्मित हुए है तथा जिसमें वृहत मरम्मत करवाकर नया रूप दिया जाए, सिनेमा संचालन की नई तकनीक स्थापित की जाए, नई साज–सज्जा लगाई जाए, कुर्सियों को बदलकर आरामदेह बनाया जाए तथा आवाज के उपकरण आदि बदलकर संचालनको आधुनिक किया जाए।	कर देयता की तिथि से 2 वर्ष तक ।
2. पुराने छविगृह जिसमें उच्च तकनीक के संचालन उपकरण लगायें जाए, नई तकनीक के ध्वनि उपकरण हों तथा कुर्सियों की पट्टी आदि बदलकर उन्हें आरामदेह किया जाए।	कर देयता की तिथि से 15 माह तक ।
3. नगर विकास विभाग के संकल्प जारी होने के 1 वर्ष या उससे अधिक समय से बंद छविगृहों को पुनः चालू करने पर	कर देयता की तिथि से 9 माह तक।

4. नव भूमि अधिगृहण कर अथवा पुराने छविगृह के स्थान पर स्थापित छविगृह को तोड़कर नये छविगृहों के निर्माण पर

स्थान	देय प्रोत्साहन अवधि
(i) जिला मुख्यालय शहरी क्षेत्र	3 (तीन) वर्ष
(ii) अनुमण्डल/प्रखण्ड स्तर शहरी क्षेत्र	3 (तीन) वर्ष
(iii) अन्य क्षेत्र	5 (पाँच) वर्ष

5. बहुविध छविगृह जो नये भवन में स्थित हो अथवा पुराने सिनेमा गृह जो कमांक 6 से 10 में अंकित शर्तों का पालन करते हो।

स्थान	देय प्रोत्साहन अवधि
(i) श्रेणी (1) – राँची, जमशेदपुर, आदित्यपुर धनबाद एवं बोकारो का शहरी क्षेत्र।	5 (पाँच) वर्ष
(ii) श्रेणी (2) – हजारीबाग, देवघर, पलामू एवं गिरीडीह का शहरी क्षेत्र।	7 (सात) वर्ष
(iii) श्रेणी (3) – श्रेणी (1) एवं (2) को छोड़कर सभी क्षेत्र ।	10 (दस) वर्ष

6. बहुविध छविगृह परिसर निम्नांकित सुविधाओं से युक्त होने चाहिए :–

(i) एक बहुविध चलचित्र परिसर में न्यूनतम तीन छविगृह होंगे जिनकी आसन्न क्षमता 750 सीटों से कम नहीं हो।

(ii) इस कम्पलैक्स में नई तकनीकी एवं अद्यतन साउण्ड सिस्टम यथा – डाल्वी डी0 टी0 एस0, डाल्वी डिजीटल, अद्यतन संचालन मशीनरी तथा जीनान प्रकाश एवं आधुनिकतम प्रकाश आदि की व्यवस्था हो।

(iii) बहुविध छविगृह परिसर के सभी सिनेमा गृह वातशीत/वातानुकूलित होने चाहिए।

(iv) प्रत्येक छविगृह में स्थापित कुर्सियाँ आरामदेह तथ उनकी चौड़ाई न्यूनतम 21" होनी चाहिए तथ कतारबद्ध सीटों के बीच की दूरी पैरों को आरामदेह स्थिति में रखने तक प्रर्याप्त होने चाहिए।

(v) एक थियेटर का स्वरूप ड्रामा प्रस्तुत करने योग्य होना चाहिए।

(vi) प्रवेश क्षेत्र – (क) प्रदर्शी क्षेत्र – न्यूनतम 200 वर्ग फुट जिसमें प्रदर्शी बोर्ड, प्रकाश व्यवस्था, वेश–भूषा, हैण्डी काफ्ट आदि स्थानीय वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाए, (ख) पारिवारिक मनोरंजन केन्द्र – इलेक्ट्रॉनिक गेम अथवा स्लॉट उपकरण अन्य मनोरंजन खेल जो जुआ नही हो, विडियोप्ले रूम, शाइबर कैफे इत्यादि का प्रावधान हों।

(vii) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निदेशित अन्य सुविधाएं रखनी होगी।

(viii) बहुविध छवि परिसर में कम से कम एक भोजन/फास्टफूड कोर्ट या रैस्तरां होना चाहिए।

(ix) बहुविध चलचित्र परिसर में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था पूर्व निर्गत परिपत्र संख्या – एस0 ओ0 1484 दिनांक 05 दिसम्बर, 1983 के मानदण्ड के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अन्डरग्राउंड अथवा वेसमेंट में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त परिपत्र के अनुरूप में निर्मित होनी चाहिए।

(क) वाणिज्यिक परिसर।

(ख) स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य क्लव।

(ग) विडियो गेम।

7. उक्त सुविधाऐं ऐसे सभी छविगृह अथवा बहुविध छविगृह परिसर जिनका जीर्णोद्धार उन्नयन अथवा निर्माण दिनांक 06.01.2006 से 05.01.2011 के भीतर किया जायेगा, को अनुमान्य होगी।

8. छविगृह या बहुविध परिसर के मालिक द्वारा प्रवेश शुल्क पर देय मनोरंजन कर से विमुक्ति की सुविधा प्राप्त रहने या होने की निर्धारित अवधि के भीतर उनके द्वारा देय सुविधाओं के लिए दर्शकों से अन्य कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा।

9. जीर्णोद्धार, उन्नयन, बन्द सिनेमा गृहों या बहुविध छविगृह परिसर के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल के प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी यह निर्णय ले सकेंगे कि छविगृह मालिक किस वर्ग के अन्तर्गत प्रोत्साहन पाने के हकदार है।

10. झारखण्ड चलचित्र प्रोत्साहन नीति 2005 के तहत नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या 35 दिनांक 06.01.2006 के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त छविगृह अथवा बहुविध परिसर मालिकों को इस नीति के कार्यकाल अवधि में थियेटर चालू किये जाने की तिथि से अगले दस वर्षो के लिए चलाना अनिवार्य होगा।

11. यदि सिनेमागृह के तहत देय सुविधाएं असंतोषप्रद पायी जाती है अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों की अवहेलना या अनुपालन नहीं किये जाने पर या देय सुविधा नहीं देने पर या 10 वर्षो तक लगातार थियेटर नहीं चलाने पर मनोरंजन कर के रूप में दी गयी विमुक्ति से संबंधित राशि सूद के साथ वसूल की जा सकेगी।

12. मनोरंजन कर से विमुक्ति से संबंधित उक्त सुविधाएं नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या 35 दिनांक 06.01.2006 में अंकित अवधि अर्थात 5 वर्ष तक लागू रहेगी।

(बिक्री कर/मनो.कर/10/2003)
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

31/8/06

(जे0 के0 दास)
अपर आयुक्त सह विशेष सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।